(23) (22)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 613–पीबीआर / 16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–12–15 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 267 / अपील / 2014–15.

---

ब्रजेश बामने वल्द रमेश बामने
निवासी पुरानी इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ..............आवेदक

**विरूद्ध**

1– श्रीमती गायत्री महालहा पत्नी अनूप महालहा
2– मनीषा महालहा पत्नी अजय महालहा
3– श्रीमती शिवानी महालहा पत्नी अखिलेश महालहा
निवासीगण ग्राम जुझारपुर
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ..............अनावेदकगण

---

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री जी0डी0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 5/1/17 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा इटारसी स्थित भूमि सर्वे कमांक 484 / 27 रकबा 0.796 हेक्टेयर पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय किया जाकर बटांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, इटारसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–7–13 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 70 के अंतर्गत भूमि के बटांकन नक्शे में किये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा दिनांक 1–6–15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 8–12–15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रश्नाधीन सम्पत्ति के विक्रय पत्र में हेराफेरी, कांटछांट कर कूटरचित तथ्य प्रकाश में लाये गये थे, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपने आदेश में स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों को संज्ञान में लेकर आपराधिक कार्यवाही हेतु परिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। अतः आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 1–6–15 में उक्त बिन्दु को समावेश करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में दिनांक 15–12–2016 को सुनवाई के दौरान आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गये । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेशों में यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि विक्रय पत्र कूटरचित है, इसके विपरीत आयुक्त द्वारा दस्तावेज को कूटरचित मानते हुए आपराधिक कार्यवाही करने के निर्देश देने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है ।

(2) उप पंजीयक कार्यालय की अभिरक्षा में आवेदक के द्वारा दस्तावेज में किसी प्रकार की कूटरचना की जाना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश देने में आयुक्त द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(3) दाण्डिक कार्यवाही करने के निर्देश सिर्फ उसी दशा में दी जा सकती है, जब साक्ष्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करना प्रमाणित हो । वर्तमान प्रकरण में आवेदक द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कं में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक की ओर से उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विकय पत्र में कूटरचित किये जाने संबंधी निष्कर्ष नहीं निकाले गये हैं, जबकि उक्त न्यायालयों द्वारा दस्तावेज में कूटरचित किये जाने संबंधी निष्कर्ष निकाले गये हैं ।

(2) अभिलेख से प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज में कूटरचना की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन दस्तावेज में आवेदक द्वारा कूटरचना किये जाने संबंधी निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले जाने के कारण आयुक्त द्वारा आवेदक के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के निर्देश देने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–6–15 पूर्णतः विधि विपरीत आदेश है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समुचित आदेश पारित नहीं कियिा गया है, अतः आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में आपराधिक प्रकरण से संबंधित बिन्दु को समावेश कर आदेश पारित करने के निर्देश देने में वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(5) आवेदक ने उप पंजीयक कार्यालय के कर्मचारी श्री भूपेन्द्र सिंह मरकाम के साथ मिलकर विकय पत्र में छेड़छाड़ की गई है ।

(6) आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–15 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका आपराधिक प्रकरण कमांक 130/16 है । अतः आयुक्त के आदेश का कियान्वयन हो जाने के कारण यह निगरानी निष्प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) लिखित तर्क में उठाये गये अन्य आधार इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।

5/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीबद्ध दस्तावेज कमांक 1196 दिनांक 16–11–2011 की प्रतिलिपि में कूटरचना की जाना पायी गई है, जिसके संबंध में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । अतः आयुक्त द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 340 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने के दिये गये आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में समावेश करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । दाण्डिक आरोपों का निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । स्पष्टतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश में फेरफार करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर